


4

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा,
जिला रीवा म०प्र०

निगरानीप्रकरण क्र. 1517-चे/15

15



15/

गंगा कुम्हार पिता श्री सरमन कुम्हार साकिन सिरसा, तहसील रायपुर
कवलियान, जिला रीवा म०प्र० ----- आवेदक/निगराकार

विरुद्ध

- 1- श्यामलाल कुम्हार ।
- 2- वावलाल कुम्हार । तनय ह्योटा कुम्हार
- 3- नामिनिया पुत्री ह्योटा कुम्हार
- 4- दुअसिमा पत्नी ह्योटा कुम्हार समी निवासीगण ग्राम सिरसा तह

रायपुर कवलियान, जिलारीवाम०प्र० ----- अनांगरनिगराकारगण

31-8-15
रिवा
कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अमर
आयुक्त महोदय रीवा सीमाग रीवा दिनांक
~~20-8-15~~ 20-8-15 बावत करण
क्रमांक 803/ अमील/ 2009-10

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मुराजस । सीक्षासन

1959 ई०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग - अप्रकरण कमांक निगरानी ~~5870~~ 1517-दो/2015

जिला रीवा

गंगा कुम्हार

विरुद्ध

श्यामलाल कुम्हार आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों हस्ताक्षर
3-5-2016	<p>प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता उपस्थित। उनके प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया।</p> <p>आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया। अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक एवं अनावेदकों के पिता छोटा के मध्य वर्ष 1983 में बटवारा नामांतरण पंजी कमांक 31 में पारित आदेश दिनांक 08-1-83 को चुका था जिसे किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो गया है। नये सिरे से लगभग 20 वर्ष के बाद बटवारा किया जाना उचित नहीं है। तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 28-8-04 को अनावेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मात्र म्याद के बिन्दु जैसे तकनीकी बिन्दु पर खारित करने में त्रुटि की। इसी कारण अपर आयुक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर तहसीलदार को पूर्ववत राजस्व अभिलेख नियमानुसार अद्यतन करने के आदेश दिये हैं। अपर आयुक्त के आदेश के आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता एवं अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	

(के०सी० जैन)
सदस्य